रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2926] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941
No. 2926] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/ BHADRA 13, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2019

का.आ. 3193(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और मौलाना मसूद अजहर उर्फ मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अल्वी उर्फ वली आदम ईसा, जिसके जन्म की तारीख 10 जुलाई, 1968 है, पुत्र अल्लाहबख्श सबीर, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक, प्रमुख और मुख्य नेता है, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के अधीन उसकी क्रम संख्या 6 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और मौलाना मसूद अजहर को तारीख 1 मई, 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1267 के अधीन एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में अभिहित किया गया है और साथ ही उसे विशेष न्यायाधीश (पोटा), नई दिल्ली द्वारा भगौड़े अपराधी के रूप में घोषित किया गया था;

और जैश-ए-मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर के संरक्षण में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए व्यापक भर्ती अभियान चलाता है और उसके प्रचारक खंड नियमित रूप से ऐसे आयोजनों का संचालन करते हैं, जिससे लोगों को आतंकवादी घटनाओं का संवर्धन करने के लिए प्रेरित किया जा सके और भारत के विरुद्ध उनकी कार्रवाईयों का समर्थन किया जा सके ;

और जैश-ए-मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर के संरक्षण में, भारत में हुए अनेक आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,अर्थात् :-

(1) 1 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर राज्य विधान सभा कांप्लेक्स पर आतंकवादी हमला जिसमें अड़तीस व्यक्ति मारे गए थे;

(2) 13 दिसंबर, 2001 को भारत की संसद पर आतंकवादी हमला जिसमें छह सुरक्षाबल कार्मिकों, दो संसद सुरक्षा सेवा कार्मिकों और एक आम नागरिक की जान गई थी;

(3) 2 जनवरी, 2016 को पाकिस्तान से आने वाले जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित आतंकवादियों द्वारा पंजाब के पठानकोट पर आतंकवादी हमला, जिसमें सात सुरक्षा बल कार्मिकों की जान गई थी और सैंतीस जख्मी हुए थे ;

(4) हमहमा, श्रीनगर स्थित बीएसएफ शिविर पर (अक्तूबर, 2017), लेथपोरा, पुलवामा में सीआरपीएफ शिविर पर (दिसंबर, 2017), संजवान, जम्मू में सेना शिविर पर (फरवरी, 2018) हमले;

(5) 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमला,जिसमें 40 सुरक्षाबल कार्मिकों की जान गई थी;

और मौलाना मसूद अजहर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले अनेकों मामलों में अभियुक्त है और पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए हमले के मामले में उसके विरुद्ध आरोपपत्र फाइल किया गया है ;

और मौलाना मसूद अजहर के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए-1086/7-2004 और ए-4367 /5-2016 जारी किए गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवाद में संलिप्त है और मौलाना मसूद अजहर को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"1. मौलाना मसूद अजहर उर्फ मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अल्वी उर्फ वली आदम ईसा ।"।

[फा.सं. 11034/10/2019-सीटी-I]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2019

S.O. 3193(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Maulana Masood Azhar @ Maulana Mohammad Masood Azhar Alvi @ Vali Adam Issa, having date of birth on the 10 July, 1968, S/o Allah Baksh Sabir is founder, chief and key leader of proscribed terrorist organisation Jaish-e-Mohammad, which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at serial number 6;

And whereas, Maulana Masood Azhar is designated as a global terrorist by the United Nations under the United Nations Security Council Resolution 1267 on the 1st May, 2019 and was declared as a proclaimed offender by the Special Judge (POTA), New Delhi;

And whereas, Jaish-e-Mohammad under the patronage of Maulana Masood Azhar, extensively undertakes recruitment drives for terrorist activities and his preaching wings regularly organise events in order to urge people to promote terrorism and support their actions against India;

And whereas, Jaish-e-Mohammad under the patronage of Maulana Masood Azhar has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following namely:-

(1) Terror attack on the Jammu and Kashmir State Legislative Assembly complex in Srinagar on the 1st October, 2001 wherein thirty eight people were killed.

(2) Terror attack on the Parliament of India on the 13th December, 2001 wherein six security force personnel, two Parliament Security Service personnel and a civilian were killed.

(3) Terror attack on the 2nd January, 2016 at Pathankot in Punjab by militants coming from Pakistan, belonging to Jaish-e-Mohammad, wherein seven security forces personnel were killed and thirty seven were injured.

(4) Terror attacks on BSF camp at Humhama, Srinagar (October, 2017), on CRPF camp at Lethpora, Pulwama (December, 2017), on Army Camp, Sunjwan, Jammu (February, 2018).

(5) Pulwama terror attack on 14th February, 2019 wherein forty security force personnel were killed.

And whereas, Maulana Masood Azhar is accused in various cases registered and being investigated by the National Investigation Agency and chargesheet had been filed against him in Pathankot air base attack case;

And whereas, Red Corner Notices No. A-1086/7-2004 and A-4367/5-2016 have been issued against Maulana Masood Azhar;

And whereas, the Central Government believes that Maulana Masood Azhar is involved in terrorism and Maulana Masood Azhar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"1. Maulana Masood Azhar @ Maulana Mohammad Masood Azhar Alvi @ Vali Adam Issa".

[F.No. 11034/10/2019-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2019

का.आ.3194(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है ;

और हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद साहिब उर्फ हाफिज मोहम्मद साइद उर्फ हाफिज मोहम्मद साईद उर्फ मोहम्मद साएद उर्फ मोहम्मद सईद, जिसके जन्म की तारीख 5 जून, 1950 है, पुत्र कमाल-उद-दिन, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी)/जमात-उद-दावा (जेयूडी)का संस्थापक,प्रमुख और मुख्य नेता है ;

और एलईटी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और हाफिज मोहम्मद सईद को तारीख 10 दिसंबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1267 के अधीन एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में अभिहित किया गया है ;

और हाफिज मोहम्मद सईद भारत में हुए अनेकों आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-

(1) लाल किला हमला (22 दिसंबर, 2000) : सेना के 2 जवानों सहित कुल 3 व्यक्तियों की जान गई थी ।

(2) रामपुर हमला (1 जनवरी, 2008) : 7 सीआरपीएफ कार्मिकों और एक आम नागरिक की जान गई थी ;

(3) 26/11 का मुंबई हमला (26-28 नवंबर, 2008): कुल 166 व्यक्तियों की जान गई थी, जिनमें 25 विदेशी भी सम्मिलित थे और 235 व्यक्ति जख्मी हुए थे ;

(4) जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला (5 अगस्त, 2015) ;

और हाफिज मोहम्मद सईद, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले अनेकों मामलों में अभियुक्त है, जिनके अंतर्गत अन्यों के साथ जम्मू-कश्मीर आतंकवादी षडयंत्र और आतंकवाद वित्त पोषण मामला और दुखतारण-ए-मिलात मामला भी है, और उसके विरुद्ध हेडली मामले (26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला) में आरोपपत्र फाइल किया गया था ;

और हाफिज मोहम्मद सईदके विरुद्ध तारीख 28 अगस्त, 2009 को, मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में उसकी भूमिका के लिए रेड कार्नर नोटिस सं. ए-2414/8-2009 जारी किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हाफिज मोहम्मद सईद आतंकवाद में संलिप्त है और हाफिज मोहम्मद सईद को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"2.हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद साहिब उर्फ हाफिज मोहम्मद साइद उर्फ हाफिज मोहम्मद साईद उर्फ मोहम्मद साएद उर्फ मोहम्मद सईद ।"।

[फा.सं. 11034/10/2019-सीटी-1]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2019

S.O.3194(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Hafiz Muhammad Saeed @ Hafiz Mohammad Sahib @ Hafiz Mohaddad Sayid @ Hafiz Muhammad @ Hafiz Saeed @ Hafez Mohammad Saeed @ Hafiz Mohammad Sayeed @ Mohammad Sayed @ Muhammad Saeed, having date of birth on the 5th June, 1950, S/o Kamal-ud-Din, is founder, chief and key leader of proscribed terrorist organisation Lashkar-e-Taiba (LeT) / Jamat-ud-Dawa (JuD);

And whereas, LeT is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at serial No. 5;

And whereas, Hafiz Muhammad Saeed is designated as a global terrorist by the United Nations under the United Nations Security Council Resolution 1267 on the 10th December, 2008;

And whereas, Hafiz Muhammad Saeed has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following namely:

(1) Red Fort attack (22nd December, 2000) : 3 persons including 2 army jawans were killed.
(2) Rampur attack (1st January, 2008) : 7 CRPF personnel and 1 civilian were killed.
(3) 26/11 Mumbai attack (26-28 Nov.2008) : 166 people killed including 25 foreigners and 235 people were injured.
(4) Attack on BSF Convoy at Udhampur in Jammu & Kashmir (5th August, 2015);

And whereas, Hafiz Muhammad Saeed is accused in various cases registered and being investigated by the National Investigation Agency, which *inter-alia* include Jammu and Kashmir terror conspiracy and terror funding case and Dukhtaran-E-Millat case and chargesheet had been filed against him in Headley case (26/11 Mumbai terror attack);

And whereas Red Corner Notice No. A-2414/8-2009 has been issued against Hafiz Muhammad Saeed on the 28 August, 2009 for his role in 26/11 Mumbai terror attack case;

And whereas, the Central Government believes that Hafiz Muhammad Saeed is involved in terrorism and Hafiz Muhammad Saeed is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"2. Hafiz Muhammad Saeed @ Hafiz Mohammad Sahib @ Hafiz Mohaddad Sayid @ Hafiz Muhammad @ Hafiz Saeed @ Hafez Mohammad Saeed @ Hafiz Mohammad Sayeed @ Mohammad Sayed @ Muhammad Saeed".

[F.No. 11034/10/2019-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2019

का.आ. 3195(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और जकी-उर-रहमान लखवी उर्फ अबू वहीद इरशाद अहमद अरशद उर्फ ककी-उर-रहमान उर्फ जाकिर रहमान लखवी उर्फ जकी-उर-रहमान लकवी उर्फ जाकिर रहमान, जिसके जन्म की तारीख 30 दिसंबर, 1960 है, पुत्र हाफिज अजीज-उर-रहमान, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी)का मुख्य प्रचालक कमांडर और साथ ही उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है ;

और एलईटी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और जकी-उर-रहमान लखवी को तारीख 10 दिसंबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1267 के अधीन एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में अभिहित किया गया है ;

और जकी-उर-रहमान लखवी भारत में हुए अनेकों आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-

(1) लाल किला हमला (22 दिसंबर, 2000) : सेना के दो जवानों सहित कुल तीन व्यक्तियों की जान गई थी ।

(2) रामपुर हमला (1 जनवरी, 2008) : सात सीआरपीएफ कार्मिकों और एक आम नागरिक की जान गई थी ;

(3) 26/11 का मुंबई हमला (26-28 नवंबर, 2008): कुल 166 व्यक्तियों की जान गई थी, जिनमें 25 विदेशी भी सम्मिलित थे और 235 व्यक्ति जख्मी हुए थे ;

(4) जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला (5 अगस्त, 2015);

और जकी-उर-रहमान लखवी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले अनेकों मामलों में अभियुक्त है, जिनके अंतर्गत अन्यों के साथ एलईटी अबू जुंदाल मामला और बीएसएफ काफिले पर उधमपुर हमला मामला भी है, और उसके विरुद्ध हेडली मामले (26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला) में आरोपपत्र फाइल किया गया था ;

और जकी-उर-रहमान लखवी के विरुद्ध तारीख 28 अगस्त, 2009 को मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में उसकी भूमिका के लिए रेड कार्नर नोटिस सं. ए-2413/8-2009 जारी किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि जकी-उर-रहमान लखवी आतंकवाद में संलिप्त है और जकी-उर-रहमान लखवी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"3.जकी-उर-रहमान लखवी उर्फ अबू वहीद इरशाद अहमद अरशद उर्फ ककी-उर-रहमान उर्फ जाकिर रहमान लखवी उर्फ जकी-उर-रहमान लकवी उर्फ जाकिर रहमान ।"।

[फा.सं. 11034/10/2019-सीटी-1]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2019

S.O.3195(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Zaki-ur-Rehman Lakhvi @ Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad @ Kaki Ur-Rehman @ Zakir Rehman Lakhvi @ Zaki-Ur-Rehman Lakvi @ Zakir Rehman, having date of birth on the 30th December, 1960, S/o Hafiz Aziz-ur-Rehman, is the chief operational commander of Lashkar-e-Taiba (LeT) and also one of its founder members;

And whereas, LeT is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at serial number 5;

And whereas, Zaki-ur-Rehman Lakhvi is designated by the United Nations as a global terrorist under the United Nations Security Council Resolution 1267 on the 10th December, 2008;

And whereas, Zaki-ur-Rehman-Lakhvi has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following, namely:

(1) Red Fort attack (22nd December, 2000): 3 persons including 2 army jawans were killed.
(2) Rampur attack (1st January, 2008) : 7 CRPF personnel and 2 civilian were killed.
(3) 26/11 Mumbai attack (26-28 Nov.2008) : 166 people killed including 25 foreigners and 235 people were injured.
(4) Attack on BSF Convoy at Udhampur in Jammu & Kashmir (5th August, 2015);

And whereas, Zaki-ur-Rehman-Lakhvi is accused in various cases registered and being investigated by the National Investigation Agency, which *inter-alia* include LeT Abu Jundal case and Udhampur terror attack on BSF convoy and chargesheet had been filed against him in Headley case (26/11 Mumbai terror attack);

And whereas Red Corner Notice No. A-2413/8-2009 was issued on the 28 August, 2009 for his role in 26/11 Mumbai terror attack case;

And whereas, the Central Government believes that Zaki-ur-Rehman Lakhvi is involved in terrorism and Zaki-ur-Rehman Lakhvi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"3. Zaki-ur-Rehman Lakhvi @ Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad @ Kaki Ur-Rehman @ Zakir Rehman Lakhvi @ Zaki-Ur-Rehman Lakvi @ Zakir Rehman".

[F.No. 11034/10/2019-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2019

का.आ. 3196(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है ;

और दाऊद इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद हसन शेख कास्कर उर्फ दाऊद भाई उर्फ दाऊद साबरी उर्फ इकबाल सेठ उर्फ बड़ा पटेल उर्फ दाऊद इब्राहिम उर्फ शेख दाऊद हसन उर्फ अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज उर्फ अनीस इब्राहिम उर्फ अजीज दिलिप उर्फ दाउद हसन शेख इब्राहिम कास्कर उर्फ दाउद इब्राहिम मेमन कास्कर उर्फ दाऊद हसन इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद इब्राहिम मेमन उर्फ कास्कर दाऊद हसन उर्फ शेख मोहम्मद इस्माईल अब्दुल रहमान उर्फ दऊद हसन शेख इब्राहिम उर्फ दाऊद भाई लो क्वालिटी उर्फ इब्राहिम शेख मोहम्मद अनीस उर्फ शेख इस्माईल अब्दुल उर्फ शेख फारूकी उर्फ इकबाल भाई, जिसके जन्म की तारीख 26 दिसंबर, 1955 है, पुत्र इब्राहिम कास्कर, एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन चलाता है और वह भारत और विदेशों में आतंकवादी घटनाओं को करवाने, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने, आतंकवाद का वित्त पोषण करने, शस्त्रों की तस्करी, नकली नोटों के परिचालन, धनशोधन, मादक द्रव्यों, उद्दापन और बेनामी संपत्ति कारोबार में संलिप्त है तथा सामाजिक समरसता को नष्ट करने तथा आम आदमी को आतंकित करने के लिए विख्यात व्यक्तियों की हत्या के प्रयासों में भी संलिप्त है;

और दाऊद इब्राहिम कास्कर को तारीख 3 नवंबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1267 के अधीन एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में अभिहित किया गया है और साथ ही उसे अल कायदा मंजूरी सूची में भी सूचीबद्ध किया गया है ; और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 6 अप्रैल, 2006 को दाऊद इब्राहिम कास्कर के नाम पर एक विशेष सूचना सं. यू-65/4-2006 भी जारी की थी;

और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की इराक और लेवेंट के इस्लामिक राज्य और अल कायदा मंजूरी समिति ने दाऊद इब्राहिम कास्कर को, ओसामा बिन लादेन, अल कायदा और तालिबान के कार्यों या कार्रवाईयों का समर्थन करने या उनके नाम पर उनके निमित्त या उनके समर्थन में उनसे मिलकर शस्त्रों और संबद्ध सामग्री की आपूर्ति, विक्रय या अंतरण करके, उनके कार्यों या कार्रवाईयों के वित्त पोषण, योजना बनाने, उन्हें सुकर बनाने, उन्हें तैयार करने या अंजाम देने में भागीदारी करने के लिए दाऊद इब्राहिम कास्कर को सूचीबद्ध किया था ;

और मार्च, 1993 में दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके साथियों द्वारा मुंबई में सीरियल बम विस्फोट किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े स्तर पर संपत्तियों के नष्ट होने के अलावा 257 व्यक्तियों की जान गई थी और 1000 से अधिक व्यक्ति जख्मी हुए थे; और मुंबई में न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा 1 अप्रैल, 1993 को दाऊद इब्राहिम कास्कर के विरुद्ध 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी वारंट संख्या 4913 जारी किया गया था और साथ ही रेड कार्नर नोटिस सं. ए-135/4/1993 भी जारी किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर आतंकवाद में संलिप्त है और दाऊद इब्राहिम कास्करको उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"4. दाऊद इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद हसन शेख कास्कर उर्फ दाऊद भाई उर्फ दाऊद साबरी उर्फ इकबाल सेठ उर्फ बड़ा पटेल उर्फ दाऊद इब्राहिम उर्फ शेख दाऊद हसन उर्फ अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज उर्फ अनीस इब्राहिम उर्फ अजीज दिलिप उर्फ दाउद हसन शेख इब्राहिम कास्कर उर्फ दाउद इब्राहिम मेमन कास्कर उर्फ दाऊद हसन इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद इब्राहिम मेमन उर्फ कास्कर दाऊद हसन उर्फ शेख मोहम्मद इस्माईल अब्दुल रहमान उर्फ दऊद हसन शेख इब्राहिम उर्फ दाऊद भाई लो क्वालिटी उर्फ इब्राहिम शेख मोहम्मद अनीस उर्फ शेख इस्माईल अब्दुल उर्फ शेख फारूकी उर्फ इकबाल भाई "।

[फा.सं. 11034/10/2019-सीटी-1]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2019

S.O.3196(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Dawood Ibrahim Kaskar @ Dawood Hasan Shiekh Kaskar @ Dawood Bhai @ Dawood Sabri @ Iqbal Seth @ Bada Patel @ Dawood Ebrahim @ Sheikh Dawood Hassan @ Abdul Hamid Abdul Aziz @ Anis Ibrahim @ Aziz Dilip @ Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar @ Daud Ibrahim Memon Kaskar @ Dawood Hasan Ibrahim Kaskar @ Dawood Ibrahim Memon @ Kaskar Dawood Hasan @ Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman @ Dowood Hassan Shaikh Ibrahim @ Dawood Bhai Low quality @ Ibrahim Shaikh Modh Anis @ Shaikh Ismail Abdul @ Sheikh Farooqi @ Iqbal Bhai having date of birth on the 26th December, 1955, S/o Ibrahim Kaskar, runs an international underworld crime syndicate and is involved in perpetrating acts of terror, promoting religious fundamentalism, terror financing, arms smuggling, circulation of counterfeit currency, money laundering, narcotics, extortion and benami real estate business in India and abroad and is also involved in assassination attempts on prominent personalities to create social disharmony and terrorise common man;

And whereas, Dawood Ibrahim Kaskar is designated as a Global terrorist by the United Nations under the United Nations Security Council Resolution 1267 and he is listed in Al-Qaida sanction list on the 3rd November, 2003 And whereas, the United Nations Security Council had also issued a Special Notice No. U-65/4-2006 in the name of Dawood Ibrahim Kaskar on 6th April, 2006;

And whereas, Islamic State of Iraq and Levant and Al-Qaeda Sanction Committee of United Nations Security Council had listed Dawood Ibrahim Kaskar for participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of, supplying, selling or transferring arms and related material or otherwise supporting acts or activities of Osama bin Laden, Al-Qaeda and the Taliban;

And whereas, a series of bomb blasts were executed by Dawood Ibrahim Kaskar and his associates in Mumbai in March 1993, which resulted in deaths of 257 persons and injured over 1000 persons apart from destruction of properties on a massive scale And whereas, an Arrest warrant No. 4913 was issued on the 1st April, 1993 by the judicial authorities in Mumbai and Red Corner Notice No. A-135/4/1993 was also issued against Dawood Ibrahim Kaskar in 1993 Mumbai serial bomb blast case;

And whereas, the Central Government believes that Dawood Ibrahim Kaskar is involved in terrorism and Dawood Ibrahim Kaskar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"4. Dawood Ibrahim Kaskar @ Dawood Hasan Shiekh Kaskar @ Dawood Bhai @ Dawood Sabri @ Iqbal Seth @ Bada Patel @ Dawood Ebrahim @ Sheikh Dawood Hassan @ Abdul Hamid Abdul Aziz @ Anis Ibrahim @ Aziz Dilip @ Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar @ Daud Ibrahim Memon Kaskar @ Dawood Hasan Ibrahim Kaskar @ Dawood Ibrahim Memon @ Kaskar Dawood Hasan @ Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman @ Dowood Hassan Shaikh Ibrahim @ Dawood Bhai Low quality @ Ibrahim Shaikh Modh Anis @ Shaikh Ismail Abdul @ Sheikh Farooqi @ Iqbal Bhai".

[F.No. 11034/10/2019-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.04 14:05:29 +05'30'